श्री अनिल कुमार झा, भा०प्र०से० ईख आयुक्त, बिहार, पटना का दिनांक– 06.06.2025 से 09.06.2025 तक का सकरी (मधुबनी) और रैयाम (दरभंगा) चीनी मिल, में भ्रमण संबंधित प्रतिवेदनः–

1. बंद सकरी चीनी मिल के प्रांगण का भ्रमण किया। इस मिल के महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल के कर्मी के साथ विचार–विमर्श हुआ। मिल कर्मियों के बकाए वेतनादि के भुगतान के संबंध में सूची तैयार कर ली गई है तथा यह सूची अंकेक्षक को उपलब्ध कराई गई है। अंकेक्षक से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित कर्मियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। महाप्रबंधक को एक सप्ताह के अंदर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, सकरी)।

2. परिसर में काफी घास और झाड़ी उग गया है। यह सूचित किया गया कि शीघ्र ही SBI Caps के प्रतिनिधि मूल्यांकन कार्य के लिए यहां आएंगे। SBI Caps को मूल्यांकन कार्य में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि परिसर की साफ–सफाई कर दें, ताकि मूल्यांकनकर्ता गोदाम तक सूरक्षित रूप से पहुंचकर मूल्यांकन का कार्य कर सकें।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, सकरी)।

3. महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि भारतीय रेल के द्वारा परिसर का अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। महाप्रबंधक द्वारा इसे रोका गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे अतिक्रमण के प्रयासों को तत्काल मना कर दिया जाय एवं इसकी जानकारी निगम मुख्यालय एवं गन्ना उद्योग विभाग को तत्काल सूचित की जाय। सकरी चीनी मिल परिसर के चहारदीवारी का निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार करने एवं अनुवर्ती तैयारी करने के लिए भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित किया जाय।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, सकरी)।

4. बंद चीनी मिल रैयाम के परिसर का भ्रमण किया। रैयाम चीनी मिल के संबंध में कुछ कर्मी द्वारा इंडस्ट्रीयल कोर्ट के आदेश को देखते हुए इसे लागू करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महाप्रबंधक सम्यक् प्रस्ताव निगम को उपलब्ध कराएंगे।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, रैयाम)।

5. परिसर के चहारदीवारी के अंदर 15 से 20 एकड़ जमीन ऐसा है, जिसमें खेती की जा सकती है, परन्तु इसके लिए सिंचाई एवं अन्य संसाधन को विकसित करना होगा। साथ ही सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी। इस संबंध में महाप्रबंधक प्रस्ताव तैयार कर निगम को उपलब्ध कराएंगे। चीनी मिल परिसर के चहारदीवारी निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग से यथा आवश्यक समन्वय तुरन्त स्थापित किया जाय।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, रैयाम)।

6. रैयाम चीनी मिल परिसर में एक किनारे कुछ अनाधिकृत दुकान चल रहा है, जो पूर्व के भेण्डर के समय शुरु होने की जानकारी दी गई। संबंधित व्यक्तियों को अधिवक्ता के परामर्श से लीगल नोटिश देने का निदेश दिया गया।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, रैयाम)।

7. सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा कार्यालय का रोकड़ बही देखी गयी, जो कि दिनांक–06.06.2025 तक अद्यतन पाया गया, रोकड़ बही में उपलब्ध राशि मो० 34258.15 में से उपलब्ध पारित/अपारित अभिश्रव की राशि को समायोजन हेतु लेखापाल से संपर्क करने/बैंक खाता में उपलब्ध राशि को सरकार की निधि में जमा करने संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। आकस्मिकता व्यय पंजी देखी गई। सहायक निदेशक ई० वि० स्थापना में स्वीकृत बल –105, कार्यरत बल – 07 (01 प्रधान लिपिक – उप निदेशक, ई०वि०, पटना में प्रतिनियुक्त एवं 01 कार्यालय परिचारी मुख्यालय, पटना में प्रतिनियुक्त है) एवं रिक्त बल – 98 है।
(कार्रवाईः– ईख पदाधिकारी, दरभंगा/श्री राजेश कुमार, ईखायुक्त कार्यालय)।

8. निगम (लोहट–इकाई) में अभिलेख हस्तांतरण के क्रम में त्वरित कार्रवाई हेतु निगम कार्यालय में एक और ताला लगाने का दिशा–निर्देश दिया गया।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, सकरी/रैयाम)।

9. ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा द्वारा कार्यालय एवं निगम कार्य के ससमय निस्पादन हेतु एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को ईख पदाधिकारी कार्यालय में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया।
(कार्रवाईः– ईखायुक्त कार्यालय)।

10. गुड़ प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों को छठ के लिए गुड़ पैकिंग/गुड़ की मारकेटिंग हेतु प्रशिक्षित करने का दिशा–निर्देश दिया गया।
(कार्रवाईः– ईख पदाधिकारी, दरभंगा)।

11. गैर चीनी मिल के किसानों को गन्ना जूस पेरने वाले व्यापारी के साथ जोड़ कर स्थानीय स्तर पर उपज किए गए फसल का क्रय–विक्रय करने का निर्देश दिया गया।
(कार्रवाईः– ईख पदाधिकारी, दरभंगा)।

12. सभी जनसेवकों को निर्देश दिया गया कि अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम एक गाँव को गन्ना गाँव के रूप में विकसित किया जाय।
(कार्रवाईः– ईख पदाधिकारी, दरभंगा/जनसेवक)।

13. श्री ललित कुमार झा एवं मो० मुस्तफा द्वारा अनुरोध किया गया कि रीगा चीनी मिल, सीतामढ़ी का गन्ना क्रय केंद्र ग्राम–महिनाथपुर, प्रखण्ड–राजनगर, मधुबनी में पुनः स्थापित हो जाने से गन्ना की वृद्धि तेजी से की जा सकेगी। उक्त स्थल पर क्रय केंद्र संचालन में चुनौती के निराकरण हेतु आवश्यकतानुसार अपने कर्मियों को भी क्रय केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।
(कार्रवाईः– ईखायुक्त कार्यालय)।

14. मो० मुस्तफा, जनसेवक दिनांक–31.01.2025 को सेवानिवृत होने वाले हैं एवं सेवानिवृति पूर्व संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।
(कार्रवाईः– ईख पदाधिकारी, दरभंगा/श्री राजेश कुमार, ईखायुक्त कार्यालय)।

15. सकरी एवं रैयाम प्रांगण की सुरक्षा के लिए एक सिफट में 2 प्रहरी अर्थात् प्रत्येक युनिट के 6 यानि कुल 12 प्रहरी के तैनात करने का अनुरोध किया गया।
(कार्रवाईः– निगम कार्यालय)।

16. बंद चीनी मिल के जमीन के संबंध में राजस्व अभिलेख अद्यतन कराया जाय।
(कार्रवाईः– महाप्रबंधक, बंद चीनी मिल, सकरी/रैयाम)।

23/6/25

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–153/CC /पटना, दिनांक–23 जून, 2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त के निजी सहायक/संयुक्त सचिव/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त/श्री राजेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा/सहायक निदेशक, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, इकाई–सकरी(मधुबनी) एवं रैयाम(दरभंगा)/जनसेवक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–153/CC /पटना, दिनांक–23 जून, 2025

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।